

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :-एफ.2(7475)/ डी.ओ.आई.टी./ संस्था/18/02932/2018 जयपुर, दिनांक 27/08/18

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	श्री योगेश सिंह चौहान, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-मुण्डावर, अलवर	1. RPSC - Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. Exam 2018
2.	श्रीमती वन्दना शर्मा, सूचना सहायक	निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर	1. RPSC - ACF and Forest Range Officer Gr-I 2. RPSC - RAS Pre Exam 2018
3.	श्री तीर्थराज भट्टेसर, सूचना सहायक	निदेशालय महिला अधिकारिता, जयपुर	1. RPSC - राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018, उपनिरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2016, सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंजर ग्रेड प्रथम प्रतियोगी परीक्षा 2018 2. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड - सहायक अभियंता (आई.टी.)
4.	सुश्री तेजस्वनी परिहार, सूचना सहायक	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक भू-विज्ञान, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान जोधपुर	1. RPSC - RAS Combined Comp. Exam 2018 2. RSMSSB - COPA Exam 2018
5.	श्री विजय गुर्जर, सूचना सहायक	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर	1. RPSC - RAS/RTS Exam 2018
6.	श्री योगेश कुमार जैमन, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-सेवर, भरतपुर	1. RSMSSB - पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 3 परीक्षा 2018 एवं कनिष्ठ अनुदेशक (कोपा)
7.	श्री विष्णु सिंह परिहार, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-कल्याणपुर, बाड़मेर	1. RPSC - RAS Combined Comp. Exam 2018
8.	श्री भाविक पारगी, सहायक प्रोग्रामर	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-कुशलगढ़, बांसवाडा	1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान - RAJASTHAN ELIGIBILITY EXAMINATION OF TEACHER (REET) - 2017

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

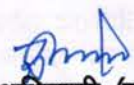
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— sd —

(सुनील भाटी)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
- ✓ 3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)
एवं कार्यालयाध्यक्ष